सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 699] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 1, 2018/ आश्विन 9, 1940
No. 699] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 1, 2018/ASVINA 9, 1940

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. 946(अ).— केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) और धारा 36-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये नियम आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को लागू होंगे।

2. आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 के नियम 8 के उप-नियम (2) में "चौदह हजार पांच सौ बत्तीस रुपए प्रतिवर्ष" शब्दों के स्थान पर "चालीस हजार आठ सौ छत्तीस रुपए प्रतिवर्ष" शब्द रखे जाएंगे और 1 जनवरी, 2016 से इसको प्रतिस्थापित हुआ माना जाएगा।

[ए-11013/15/2008-एटी]
श्रीनिवास कथिकीथाला, अपर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के संबंध में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से, आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की, जिन्हें 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त किया गया था, की पेंशन का 1 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षण करने का विनिश्चय किया है। तदनुसार, आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 का 1 जनवरी, 2016 से भूतलक्षी रूप से संशोधन किया जा रहा है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पर प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

टिप्पणीः-मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 930 (अ), तारीख 26 अक्टूबर, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया-

1. सा.का.नि. 52 (अ), तारीख 29 जनवरी, 1991;
2. सा.का.नि. 46 (अ), तारीख 31 जनवरी, 1994;
3. सा.का.नि. 660 (अ), तारीख 21 सितम्बर, 1995;
4. सा.का.नि. 528 (अ), तारीख 27 अगस्त, 1998;
5. सा.का.नि. 842 (अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2000;
6. सा.का.नि. 672 (अ), तारीख 18 अक्टूबर, 2007; और
7. सा.का.नि. 875 (अ), तारीख 09 दिसंबर, 2009।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 01st October, 2018

G.S.R. 946(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of section 35 and section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989, namely :-

1. (1) These rules may be called the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Amendment Rules, 2018.

(2) These rules shall be applicable to the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the Andhra Pradesh Administrative Tribunal appointed before the 19th February, 2007.

2. In rule 8 of the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1989, in sub-rule (2), for the words "rupees fourteen thousand five hundred and thirty two per annum", the words "rupees forty thousand eight hundred and thirty six per annum" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of January, 2016.

[A-11013/15/2008-AT]

SRINIVAS KATIKITHALA, Addl. Secy.

Explanatory Memorandum:—

With a view to implement the recommendations of the Seventh Pay Commission regarding the Central Government employees' pension, the Central Government has decided to revise the pension of the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the Andhra Pradesh Administrative Tribunal with effect from the 1st day of January, 2016 who were appointed before the 19th day of February, 2007. Accordingly, the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1989 are being amended with retrospective effect from the 1st day of January, 2016.

2. It is certified that no Chairman, Vice-Chairmen and Member of the Andhra Pradesh Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by the proposed amendment being given retrospective effect.

Note :- Principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 930 (E) dated the 26th October, 1989 and subsequently amended vide notification numbers -

(1) G.S.R. 52 (E), dated the 29th January, 1991;

(2) G.S.R. 46 (E), dated the 31st January, 1994;

(3) G.S.R. 660 (E), dated the 21st September, 1995;

(4) G.S.R. 528 (E), dated the 27th August, 1998;

(5) G.S.R. 842 (E), dated the 31st October, 2000;

(6) G.S.R. 672 (E), dated the 18th October, 2007; and

(7) G.S.R. 875 (E), dated the 09th December, 2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. 947(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) और धारा 36-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये नियम हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को लागू होंगे।

2. हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 के नियम 8 के उप-नियम (2) में "चौदह हजार पांच सौ बत्तीस रुपए प्रतिवर्ष" शब्दों के स्थान पर "चालीस हजार आठ सौ छत्तीस रुपए प्रतिवर्ष" शब्द रखे जाएंगे और 1 जनवरी, 2016 से इसको प्रतिस्थापित हुआ माना जाएगा।

[ए-11013/15/2008-एटी]

श्रीनिवास कथिकीथाला, अपर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के संबंध में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की,

जिन्हें 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त किया गया था, की पेंशन का 1 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षण करने का विनिश्चय किया है। तदनुसार, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 का 1 जनवरी, 2016 से भूतलक्षी रूप से संशोधन किया जा रहा है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पर प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

टिप्पणीः-मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1015 (अ), तारीख 22 अगस्त, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया-

1. सा.का.नि. 424 (अ), तारीख 04 अप्रैल, 1988;

2. सा.का.नि. 1046 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 1989;

3. सा.का.नि. 729 (अ), तारीख 09 अगस्त, 1995;

4. सा.का.नि. 45 (अ), तारीख 31 जनवरी, 1994;

5. सा.का.नि. 207 (अ), तारीख 22 मार्च, 2001;

6. सा.का.नि. 674 (अ), तारीख 18 अक्टूबर, 2007; और

7. सा.का.नि. 876 (अ), तारीख 09 दिसंबर, 2009।

NOTIFICATION

New Delhi, the 01st October, 2018

G.S.R. 947(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of section 35 and section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1986, namely :-

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Amendment Rules, 2018.

(2) These rules shall be applicable to the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the Himachal Pradesh Administrative Tribunal appointed before the 19th February, 2007.

2. In rule 8 of the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1986, in sub-rule (2), for the words "rupees fourteen thousand five hundred and thirty two per annum", the words "rupees forty thousand eight hundred and thirty six per annum" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of January, 2016.

[A-11013/15/2008-AT]

SRINIVAS KATIKITHALA, Addl. Secy.

Explanatory Memorandum:—

With a view to implement the recommendations of the Seventh Pay Commission regarding the Central Government employees' pension, the Central Government has decided to revise the pension of the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the Himachal Pradesh Administrative Tribunal with effect from the 1st day of January, 2016 who were appointed before the 19th day of February, 2007. Accordingly, the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1986 are being amended with retrospective effect from the 1st day of January, 2016.

2. It is certified that no Chairman, Vice-Chairmen and Member of the Himachal Pradesh Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by the proposed amendment being given retrospective effect.

Note :- Principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 1015 (E) dated the 22nd August, 1986 and subsequently amended vide notification numbers -

(1) G.S.R. 424 (E), dated the 4th April, 1988;

(2) G.S.R. 1046 (E), dated the 13th December, 1989;

(3) G.S.R. 729 (E), dated the 9th August, 1995;

(4) G.S.R. 45 (E), dated the 31st January, 1994;

(5) G.S.R. 207 (E), dated the 22nd March, 2001;

(6) G.S.R. 674 (E), dated the 18th October, 2007; and

(7) G.S.R. 876 (E), dated the 09th December, 2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. 948(अ).— केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) और धारा 36-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये नियम कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण के 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को लागू होंगे।

2. कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 के नियम 8 के उप-नियम (2) में "चौदह हजार पांच सौ बत्तीस रुपए प्रतिवर्ष" शब्दों के स्थान पर "चालीस हजार आठ सौ छत्तीस रुपए प्रतिवर्ष" शब्द रखे जाएंगे और 1 जनवरी, 2016 से इसको प्रतिस्थापित हुआ माना जाएगा।

[ए-11013/15/2008-एटी]

श्रीनिवास कथिकीथाला, अपर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के संबंध में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से, कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण के ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की, जिन्हें 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त किया गया था, की पेंशन का 1 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षण करने का विनिश्चय किया है। तदनुसार, कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 का 1 जनवरी, 2016 से भूतलक्षी रूप से संशोधन किया जा रहा है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पर प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

टिप्पणीः-मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1092 (अ), तारीख 17 सितम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया-

1. सा.का.नि. 424 (अ), तारीख 04 अप्रैल, 1988;
2. सा.का.नि. 1049 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 1989;
3. सा.का.नि. 520 (अ), तारीख 13 नवंबर, 1996;
4. सा.का.नि. 86 (अ), तारीख 03 फरवरी, 2000;
5. सा.का.नि. 320 (अ), तारीख 06 अप्रैल, 2000;
6. सा.का.नि. 78 (अ), तारीख 08 फरवरी, 2001;
7. सा.का.नि. 671 (अ), तारीख 18 अक्टूबर, 2007; और
8. सा.का.नि. 877 (अ), तारीख 09 दिसंबर, 2009।

NOTIFICATION

New Delhi, the 01st October, 2018

G.S.R. 948(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of section 35 and section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Karnataka Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1986, namely :-

1. (1) These rules may be called the Karnataka Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Amendment Rules, 2018.

(2) These rules shall be applicable to the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the Karnataka Administrative Tribunal appointed before the 19th February, 2007.

2. In rule 8 of the Karnataka Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1986, in sub-rule (2), for the words "rupees fourteen thousand five hundred and thirty two per annum", the words "rupees forty thousand eight hundred and thirty six per annum" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of January, 2016.

[A-11013/15/2008-AT]

SRINIVAS KATIKITHALA, Addl. Secy.

Explanatory Memorandum

With a view to implement the recommendations of the Seventh Pay Commission regarding the Central Government employees' pension, the Central Government has decided to revise the pension of the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the Karnataka Administrative Tribunal with effect from the 1st day of January, 2016 who were appointed before the 19th day of February, 2007. Accordingly, the Karnataka Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1986 are being amended with retrospective effect from the 1st day of January, 2016.

2. It is certified that no Chairman, Vice-Chairmen and Member of the Karnataka Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by the proposed amendment being given retrospective effect.

Note :- Principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 1092 (E) dated the 17th September, 1986 and subsequently amended vide notification numbers -

(1) G.S.R. 424 (E), dated the 4th April, 1988;

(2) G.S.R. 1049 (E), dated the 13th December, 1989;

(3) G.S.R. 520 (E), dated the 13th November, 1996;

(4) G.S.R. 86 (E), dated the 03rd February, 2000;

(5) G.S.R. 320 (E), dated the 06th April, 2000;

(6) G.S.R. 78 (E), dated the 8th February, 2001;

(7) G.S.R. 671 (E), dated the 18th October, 2007; and

(8) G.S.R. 877 (E), dated the 09th December, 2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. 949(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) और धारा 36-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये नियम मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को लागू होंगे।

2. मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 के नियम 8 के उप-नियम (2) में "चौदह हजार पांच सौ बत्तीस रुपए प्रतिवर्ष" शब्दों के स्थान पर "चालीस हजार आठ सौ छत्तीस रुपए प्रतिवर्ष" शब्द रखे जाएंगे और 1 जनवरी, 2016 से इसको प्रतिस्थापित हुआ माना जाएगा।

[ए-11013/15/2008-एटी]

श्रीनिवास कथिकीथाला, अपर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के संबंध में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से, मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की, जिन्हें 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त किया गया था, की पेंशन का 1 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षण करने का विनिश्चय किया है। तदनुसार, मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 का 1 जनवरी, 2016 से भूतलक्षी रूप से संशोधन किया जा रहा है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पर प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

टिप्पणीः-मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1253 (अ), तारीख 05 दिसंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया-

1. सा.का.नि. 16 (अ), तारीख 10 जनवरी, 1989;
2. सा.का.नि. 1048 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 1989;
3. सा.का.नि. 743 (अ), तारीख 07 अक्टूबर, 1994;
4. सा.का.नि. 699 (अ), तारीख 26 अक्टूबर, 1995;
5. सा.का.नि. 471 (अ), तारीख 04 अगस्त, 1998;
6. सा.का.नि. 485 (अ), तारीख 09 जुलाई, 2002;
7. सा.का.नि. 610 (अ), तारीख 28 अगस्त, 2002; और
8. सा.का.नि. 878 (अ), तारीख 09 दिसंबर, 2009।

NOTIFICATION

New Delhi, the 01st October, 2018

G.S.R. 949(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of section 35 and section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1986, namely :-

1. (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Amendment Rules, 2018.

(2) These rules shall be applicable to the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the Madhya Pradesh Administrative Tribunal appointed before the 19th February, 2007.

2. In rule 8 of the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1986, in sub-rule (2), for the words "rupees fourteen thousand five hundred and thirty two per annum", the words "rupees forty thousand eight hundred and thirty six per annum" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of January, 2016.

[A-11013/15/2008-AT]

SRINIVAS KATIKITHALA, Addl. Secy.

Explanatory Memorandum:—

With a view to implement the recommendations of the Seventh Pay Commission regarding the Central Government employees' pension, the Central Government has decided to revise the pension of the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the Madhya Pradesh Administrative Tribunal with effect from the 1st day of January, 2016 who were appointed before the 19th day of February, 2007. Accordingly, the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1986 are being amended with retrospective effect from the 1st day of January, 2016.

2. It is certified that no Chairman, Vice-Chairmen and Member of the Madhya Pradesh Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by the proposed amendment being given retrospective effect.

Note :- Principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 1253 (E) dated the 05th December, 1986 and subsequently amended vide notification numbers -

(1) G.S.R. 16 (E), dated the 10th January, 1989;

(2) G.S.R. 1048 (E), dated the 13th December, 1989;

(3) G.S.R. 743 (E), dated the 07th October, 1994;

(4) G.S.R. 699 (E), dated the 26th October, 1995;

(5) G.S.R. 471 (E), dated the 04th August, 1998;

(6) G.S.R. 485 (E), dated the 09th July, 2002;

(7) G.S.R. 610 (E), dated the 28th August, 2002; and

(8) G.S.R. 878 (E), dated the 09th December, 2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. 950(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) और धारा 36-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये नियम महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण के 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को लागू होंगे।

2. महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 के नियम 8 के उप-नियम (2) में "चौदह हजार पांच सौ बत्तीस रुपए प्रतिवर्ष" शब्दों के स्थान पर "चालीस हजार आठ सौ छत्तीस रुपए प्रतिवर्ष" शब्द रखे जाएंगे और 1 जनवरी, 2016 से इसको प्रतिस्थापित हुआ माना जाएगा।

[ए-11013/15/2008-एटी]

श्रीनिवास कथिकीथाला, अपर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के संबंध में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से, महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण के ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की, जिन्हें 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त किया गया था, की पेंशन का 1 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षण करने का विनिश्चय किया है। तदनुसार, महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 का 1 जनवरी, 2016 से भूतलक्षी रूप से संशोधन किया जा रहा है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पर प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

टिप्पणीः-मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1157 (अ), तारीख 21 अक्टूबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया-

1. सा.का.नि. 71 (अ), तारीख 30 जनवरी, 1992;

2. सा.का.नि. 288 (अ), तारीख 01 मार्च, 1994;

3. सा.का.नि. 565 (अ), तारीख 08 सितम्बर, 1998;

4. सा.का.नि. 898 (अ), तारीख 24 नवंबर, 2000;

5. सा.का.नि. 569 (अ), तारीख 18 अक्टूबर, 2000; और

6. सा.का.नि. 879 (अ), तारीख 09 दिसंबर, 2009।

NOTIFICATION

New Delhi, the 01st October, 2018

G.S.R. 950(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of section 35 and section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Maharashtra Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1986, namely :-

1. (1) These rules may be called the Maharashtra Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Amendment Rules, 2018.

(2) These rules shall be applicable to the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the Maharashtra Administrative Tribunal appointed before the 19th February, 2007.

2. In rule 8 of the Maharashtra Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1986, in sub-rule (2), for the words "rupees fourteen thousand five hundred and thirty two per annum", the words "rupees forty thousand eight hundred and thirty six per annum" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of January, 2016.

[A-11013/15/2008-AT]

SRINIVAS KATIKITHALA, Addl. Secy.

Explanatory Memorandum:—

With a view to implement the recommendations of the Seventh Pay Commission regarding the Central Government employees' pension, the Central Government has decided to revise the pension of the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the Maharashtra Administrative Tribunal with effect from the 1st day of January, 2016 who were appointed before the 19th day of February, 2007. Accordingly, the Maharashtra Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1986 are being amended with retrospective effect from the 1st day of January, 2016.

2. It is certified that no Chairman, Vice-Chairmen and Member of the Maharashtra Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by the proposed amendment being given retrospective effect.

Note :- Principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 1157 (E) dated the 21st October, 1986 and subsequently amended vide notification numbers -

(1) G.S.R. 71 (E), dated the 30th January, 1992;

(2) G.S.R. 288 (E), dated the 01st March, 1994;

(3) G.S.R. 565 (E), dated the 08th September, 1998;

(4) G.S.R. 898 (E), dated the 24th November, 2000;

(5) G.S.R. 569 (E), dated the 18th October, 2000; and

(6) G.S.R. 879 (E), dated the 09th December, 2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. 951(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) और धारा 36-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये नियम उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण के 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को लागू होंगे।

2. उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1985 के नियम 8 के उप-नियम (2) में "चौदह हजार पांच सौ बत्तीस रुपए प्रतिवर्ष" शब्दों के स्थान पर "चालीस हजार आठ सौ छत्तीस रुपए प्रतिवर्ष" शब्द रखे जाएंगे और 1 जनवरी, 2016 से इसको प्रतिस्थापित हुआ माना जाएगा।

[ए-11013/15/2008-एटी]

श्रीनिवास कथिकीथाला, अपर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के संबंध में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से, उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण के ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की, जिन्हें 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त किया गया था, की पेंशन का 1 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षण करने का विनिश्चय किया है। तदनुसार, उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1985 का 1 जनवरी, 2016 से भूतलक्षी रूप से संशोधन किया जा रहा है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पर प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

टिप्पणीः-मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 644 (अ), तारीख 10 अगस्त, 1985 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया-

1. सा.का.नि. 423 (अ), तारीख 04 अप्रैल, 1988;
2. सा.का.नि. 32 (अ), तारीख 24 जनवरी, 1990;
3. सा.का.नि. 500 (अ), तारीख 07 जून, 1994;
4. सा.का.नि. 564 (अ), तारीख 08 सितम्बर, 1998;
5. सा.का.नि. 289 (अ), तारीख 18 अप्रैल, 2002;
6. सा.का.नि. 670 (अ), तारीख 18 अक्टूबर, 2007; और
7. सा.का.नि. 880 (अ), तारीख 09 दिसंबर, 2009।

NOTIFICATION

New Delhi, the 01st October, 2018

G.S.R. 951(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of section 35 and section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Orissa Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1985, namely :-

1. (1) These rules may be called the Orissa Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Amendment Rules, 2018.

(2) These rules shall be applicable to the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the Orissa Administrative Tribunal appointed before the 19th February, 2007.

2. In rule 8 of the Orissa Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1985, in sub-rule (2), for the words "rupees fourteen thousand five hundred and thirty two per annum", the words "rupees forty thousand eight hundred and thirty six per annum" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of January, 2016.

[A-11013/15/2008-AT]

SRINIVAS KATIKITHALA, Addl. Secy.

Explanatory Memorandum:—

With a view to implement the recommendations of the Seventh Pay Commission regarding the Central Government employees' pension, the Central Government has decided to revise the pension of the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the Orissa Administrative Tribunal with effect from the 1st day of January, 2016 who were appointed before the 19th day of February, 2007. Accordingly, the Orissa Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1985 are being amended with retrospective effect from the 1st day of January, 2016.

2. It is certified that no Chairman, Vice-Chairmen and Member of the Orissa Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by the proposed amendment being given retrospective effect.

Note :- Principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 644 (E) dated the 10th August, 1985 and subsequently amended vide notification numbers -

(1) G.S.R. 423 (E), dated the 04th April, 1988;

(2) G.S.R. 32 (E), dated the 24th January, 1990;

(3) G.S.R. 500 (E), dated the 07th June, 1994;

(4) G.S.R. 564 (E), dated the 08th September, 1998;

(5) G.S.R. 289 (E), dated the 18th April, 2002;

(6) G.S.R. 670 (E), dated the 18th October, 2007; and

(7) G.S.R. 880 (E), dated the 09th December, 2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. 952(अ).— केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) और धारा 36-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तमिल नाडु प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये नियम तमिल नाडु प्रशासनिक अधिकरण के 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को लागू होंगे।

2. तमिल नाडु प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1988 के नियम 8 के उप-नियम (2) में "चौदह हजार पांच सौ बत्तीस रुपए प्रतिवर्ष" शब्दों के स्थान पर "चालीस हजार आठ सौ छत्तीस रुपए प्रतिवर्ष" शब्द रखे जाएंगे और 1 जनवरी, 2016 से इसको प्रतिस्थापित हुआ माना जाएगा।

[ए-11013/15/2008-एटी]

श्रीनिवास कथिकीथाला, अपर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के संबंध में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से, तमिल नाडु प्रशासनिक अधिकरण के ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की, जिन्हें 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त किया गया था, की पेंशन का 1 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षण करने का विनिश्चय किया है। तदनुसार, तमिल नाडु प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1988 का 1 जनवरी, 2016 से भूतलक्षी रूप से संशोधन किया जा रहा है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि तमिल नाडु प्रशासनिक अधिकरण के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पर प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

टिप्पणीः-मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 29 जून, 1988 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया-

1. सा.का.नि. 1047 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 1989;
2. सा.का.नि. 47 (अ), तारीख 31 जनवरी, 1994;
3. सा.का.नि. 746 (अ), तारीख 16 दिसंबर, 1998;
4. सा.का.नि. 302 (अ), तारीख 27 अप्रैल, 2001;
5. सा.का.नि. 933 (अ), तारीख 31 दिसंबर, 2001; और
6. सा.का.नि. 881 (अ), तारीख 09 दिसंबर, 2009।

NOTIFICATION

New Delhi, the 01st October, 2018

G.S.R. 952(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of section 35 and section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Tamil Nadu Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1988, namely :-

1. (1) These rules may be called the Tamil Nadu Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Amendment Rules, 2018.

(2) These rules shall be applicable to the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the Tamil Nadu Administrative Tribunal appointed before the 19th February, 2007.

2. In rule 8 of the Tamil Nadu Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1988, in sub-rule (2), for the words "rupees fourteen thousand five hundred and thirty two per annum", the words "rupees forty thousand eight hundred and thirty six per annum" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of January, 2016.

[A-11013/15/2008-AT]

SRINIVAS KATIKITHALA, Addl. Secy.

Explanatory Memorandum:-

With a view to implement the recommendations of the Seventh Pay Commission regarding the Central Government employees' pension, the Central Government has decided to revise the pension of the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the Tamil Nadu Administrative Tribunal with effect from the 1st day of January, 2016 who were appointed before the 19th day of February, 2007. Accordingly, the Tamil Nadu Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1988 are being amended with retrospective effect from the 1st day of January, 2016.

2. It is certified that no Chairman, Vice-Chairmen and Member of the Tamil Nadu Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by the proposed amendment being given retrospective effect.

Note :- Principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 756 (E) dated the 29th June, 1988 and subsequently amended vide notification numbers -

(1) G.S.R. 1047 (E), dated the 13th December, 1989;

(2) G.S.R. 47 (E), dated the 31st January, 1994;

(3) G.S.R. 746 (E), dated the 16th December, 1998;

(4) G.S.R. 302 (E), dated the 27th April, 2001;

(5) G.S.R. 933 (E), dated the 31st December, 2001; and

(6) G.S.R. 881 (E), dated the 09th December, 2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. 953(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) और धारा 36-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पश्चिम बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पश्चिम बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये नियम पश्चिम बंगाल प्रशासनिक अधिकरण के 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को लागू होंगे।

2. पश्चिम बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1994 के नियम 8 के उप-नियम (2) में "चौदह हजार पांच सौ बत्तीस रुपए प्रतिवर्ष" शब्दों के स्थान पर "चालीस हजार आठ सौ छत्तीस रुपए प्रतिवर्ष" शब्द रखे जाएंगे और 1 जनवरी, 2016 से इसको प्रतिस्थापित हुआ माना जाएगा।

[ए-11013/15/2008-एटी]

श्रीनिवास कथिकीथाला, अपर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के संबंध में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से, पश्चिम बंगाल प्रशासनिक अधिकरण के ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की, जिन्हें 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त किया गया था, की पेंशन का 1 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षण करने का विनिश्चय किया है। तदनुसार, पश्चिम बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1994 का 1 जनवरी, 2016 से भूतलक्षी रूप से संशोधन किया जा रहा है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि पश्चिम बंगाल प्रशासनिक अधिकरण के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पर प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

टिप्पणीः-मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 875 (अ), तारीख 21 दिसंबर, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया-

1. सा.का.नि. 587 (अ), तारीख 05 जुलाई, 2000;

2. सा.का.नि. 673 (अ), तारीख 18 अक्टूबर, 2007; और

3. सा.का.नि. 882 (अ), तारीख 09 दिसंबर, 2009।

NOTIFICATION

New Delhi, the 01st October, 2018

G.S.R. 953(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of section 35 and section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the West Bengal Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1994, namely :-

1. (1) These rules may be called the West Bengal Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Amendment Rules, 2018.

(2) These rules shall be applicable to the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the West Bengal Administrative Tribunal appointed before the 19th February, 2007.

2. In rule 8 of the West Bengal Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1994, in sub-rule (2), for the words "rupees fourteen thousand five hundred and thirty two per annum", the words "rupees forty thousand eight hundred and thirty six per annum" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of January, 2016.

[A-11013/15/2008-AT]

SRINIVAS KATIKITHALA, Addl. Secy.

Explanatory Memorandum:—

With a view to implement the recommendations of the Seventh Pay Commission regarding the Central Government employees' pension, the Central Government has decided to revise the pension of the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the West Bengal Administrative Tribunal with effect from the 1st day of January, 2016 who were appointed before the 19th day of February, 2007. Accordingly, the West Bengal Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1994 are being amended with retrospective effect from the 1st day of January, 2016.

2. It is certified that no Chairman, Vice-Chairmen and Member of the West Bengal Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by the proposed amendment being given retrospective effect.

Note :- Principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 875 (E) dated the 21st December, 1994 and subsequently amended vide notification numbers -

(1) G.S.R. 587 (E), dated the 05th July, 2000;

(2) G.S.R. 673 (E), dated the 18th October, 2007; and

(3) G.S.R. 882 (E), dated the 09th December, 2009.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2018.10.10 11:25:32 +05'30'